संख्या- 6 /2026/001-106-81-4-2026

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- ''नेशनल प्लान फार कन्जरवेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम'' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शहीद चन्द्रशेखर नवाबगंज आर्द्रभूमि - उन्नाव एवं लाख बहोसी आर्द्रभूमि - कन्नौज हेतु अवमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 1146.76 लाख के सापेक्ष रू0 112.733 लाख की वित्तीय स्वीकृत जारी कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,योजना एवं कृषि वानिकी,उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- पी-484/36-टी-90(NPCA) दिनांक 29.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में **केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- ''नेशनल प्लान फार कन्जरवेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम''** योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शहीद चन्द्रशेखर नवाबगंज आर्द्रभूमि - उन्नाव एवं लाख बहोसी आर्द्रभूमि - कन्नौज हेतु अवमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 1146.76 लाख के सापेक्ष रू0 112.733 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

1. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी०ए०-1132/ दस-2004-1/2004,-दिनांक 07-01-2015 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-2031/2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।
5. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।
6. व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।
7. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेंशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी- समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
8. प्रश्नगत स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-484/36-टी-90(NPCA) दिनांक 29.12.2025 में अंकित विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतएव किसी भी लिपिकीय एवं आंकिक त्रुटि के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।
9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत स्वीकृति के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यो की शतप्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जाय।
10. उक्त के अतिरिक्त समस्त वित्तीय नियमों/प्राविधानों/निर्देशों एवं औपचारिकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कराये गये कार्यो के फोटोग्राफ्स/भौतिक मासिक प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण समयबद्ध रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० द्वारा विषयगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।
14. विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
15. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
16. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
17. विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
18. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। विभागाध्यक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के वयय के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।
19. विभागाध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार भारत सरकार के पत्र सं०-एफ0 न0- 153717, दिनांक 13-11-2025 एवं पत्र सं०-एफ0 न0- 153562, दिनांक 13.11.2025 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे। विभागाध्यक्ष भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।''

2- इस संबंध में होने वाला व्यय**लेखाशीर्ष:** 2406021100142 (नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	060	2406021100142 नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम (के.60/रा.40-के.)	29 अनुरक्षण	73,16,000 (रुपये तिहत्तर लाख सोलह हजार मात्र)
2	060	2406021100142 नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	37,17,300 (रुपये सैंतीस लाख सत्रह हजार तीन सौ मात्र)
	कुल			**1,10,33,300**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

				(रुपये एक करोड़ दस लाख तैंतीस हजार तीन सौ मात्र)

लेखाशीर्ष: 4406021100107 (नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	060	4406021100107 नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम (के.60/रा.40-के.)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			**2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)**

महायोग	1,12,73,300 (रुपये एक करोड़ बारह लाख तिहत्तर हजार तीन सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या E-7-152-X-2025-26-दिनांक:29-1-2026मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 6(1) /2026/001-106-81-4-2026, तद् दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।